



Helpline

1064



94135-02834

**कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो**  
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)  
प्रेस नोट,

➤ एसीबी (एस.यू.) अजमेर में हरीराम यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सिविल लाईन, जिला अजमेर को 28 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

जयपुर, दिनांक 14 जनवरी, 2026 बुधवार। एसीबी, मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी (एस.यू.) अजमेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी हरीराम यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सिविल लाईन, जिला अजमेर को परिवारी द्वारा दर्ज प्रकरण मे चालान पेश करने की एवज मे आज 20,000/- रूपये भारतीय मुद्रा के नोट व 8,000/- रूपये के डमी नोट(कुल 28,000/-) लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता ने बताया कि ए०सी०बी० (एस०यू०) अजमेर को एक शिकायत इस आशय की प्राप्त हुई कि परिवारी द्वारा दर्ज प्रकरण मे चालान पेश करने की एवज मे दिनांक 13.01.26 को 70,000/- रूपये की रिश्वत राशि लेना तय कर आज दिनांक 14.01.26 को 20,000 रूपये भारतीय मुद्रा के नोट व 8,000/- रूपये के डमी नोट रिश्वत प्राप्त की।

जिस पर एसीबी, अजमेर रेंज अजमेर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री आनन्द शर्मा के सुपरवीजन मे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वन्दना भाटी, भ्रनिब्यूरो, एस.यू. -अजमेर के निर्देशन में श्रीमती मीरा बेनीवाल निरीक्षक पुलिस, एसीबी (एस.यू.) अजमेर द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए श्री हरीराम यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस, को 20,000/- रूपये भारतीय मुद्रा के नोट व 8,000/- रूपये के डमी नोट रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक श्री राजेश सिंह के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।